न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 47/2017

1 अरूण तिवाड़ी पुत्र विश्वम्भरदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी राणी सती रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 मुमताज खां खोखर पुत्र आजम खां।
2 झाबरमल पुत्र भूराराम निवासीगण मियां की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 रसीद अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी वार्ड नम्बर 17 सुभाष स्कूल के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी मंगलचन्द जाति जांगिड़ निवासी वैद की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 श्रीराम कुमावत पुत्र हरदेवाराम जाति कुमावत निवासी नाड़ा की ढ़ाणी रूघनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
6 श्रवण पुत्र पन्नाराम जाति कुमावत निवासी 281 रेल्वे फाटक के पास बाजौर तहसील व जिला सीकर।
7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 उप पंजीयक पलसाना जिला सीकर।
9 पटवारी पटवार हल्का शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.10.2017 मुकदमा नम्बर 88/2015 बउनवानी अरूण तिवाड़ी बनाम मुमताज खां खोखर आदि दावा मै अज अदालत सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रमेश चन्द श्रीवास्तव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री श्याम सुन्दर पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 29.10.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद बाबत बंटवारा, उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं इन्द्राज दुरूस्ती, विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वाद पत्र खसरा नम्बर 2614 रकबा 2.00 हैक्टेयर कुल किता कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के बाबत प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 11.10.2017 को तारीख पेशी नियत थी। परन्तु वादी अपीलांट बाहर गया होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में नहीं था। इस वजह से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता वादी/अपीलांट ने कथन किया कि वादी मेरे सम्पर्क में नहीं है। इस वजह से हिदायत पैरवी मुझे नहीं है। इस पर विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही उक्त वाद को खारिज फरमा दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नही होने का कथन करने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार पक्षकार को नोटिस जारी किये जाने चाहिए। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। वकील की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1319, डी.एन.जे. राजस्थान 2002(1) पेज 45 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश द्वारा वादी अपीलांट का वाद हिदायत पैरवी नही होने के कारण खारिज किया गया है। इस वाद की पुनः स्थापना हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष ही आवेदन पोषणीय है। ऐसे आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नही है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नही होने का कथन करने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार पक्षकार को नोटिस जारी किये जाने चाहिए। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर वाद वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। वकील की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार गुणावगुण पर निस्तारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर